A 38

HARI NAGAR RESIDENTS WELFARE ASSOCIATION (Regd.)

F-32, HARI NAGAR EXT., PART-II, BADARPUR, NEW DELHI-110044

REF. ....

OFFICE OF UDM
Dy. No. 4021
Date 18/11/11

DATE 11/11/11

श्री कमलनाथ जी,
माननीय शहरी विकास मंत्री,
भारत सरकार,
निर्माण भवन, नई दिल्ली।

विषयः— मास्टर प्लान 2021 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा हरीनगर विस्तार भाग—2 एफ ब्लाक 1639 / 225 को ओ जोन में दर्शाने के संदर्भ में।

मान्यवर जी,

इस पत्र के द्वारा आपसे विनती करना चाहता हूँ कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में हमारी कालोनी हरीनगर विस्तार भाग—2 एफ ब्लाक को ओ जोन में दर्शाया गया हैं, जो कि सरासर गलत है। ओ—जोन का दायरा यमुना नदी के किनारे होता है जबकि हमारी कालोनी हरीनगर विस्तार भाग—2 एफ ब्लाक यमुना नदी से लगभग 4 किलोमीटर दूर है व दिल्ली सरकार की 1639 अनाधिकृत कालोनियों की सूची में 225 नम्बर पर दर्ज है व हम लोग यमुना फ्रन्ट पर नही आते। हमारे बाद दिल्ली की अनेक कालोनियों के अलावा हरियाणा के बसन्तपुर गांव व ईस्मायलपुर गांव हैं व कुछ कालोनियाँ व सैक्टर एरिया भी आता है तब कहीं जाकर यमुना नदी बहती है इसीलिये हम लोग ओ जोन के दायरे में नहीं आते है

अतः आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप कृपया हमारी कालोनी हरीनगर विस्तार भाग—2 एफ ब्लाक को ओ जोन से निकालकर एफ जोन में डालने की कृपा करे। हम आपके सदैव आभारी रहेंगें।

PS to UDM

आपका आभारी,
Hari Nagar Residents Welfare Association
President
(कृष्णकान्त ...)
प्रधान

Secretary UD

प्रतिलिपीः—

1— माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली
2— माननीय उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण
3— माननीय निदेषक (योजना) एमपीआर दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली।
4— माननीय आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली।
5— माननीय मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार
6— श्री रमेश कुमार माननीय सांसद दक्षिण दिल्ली।
7— श्री रामसिंह नेताजी, माननीय विधायक, बदरपुर, नई दिल्ली।